संख्या:47/2018/3749/12-2-2018-60(10)/2017

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2018

विषय: रबी 2018-19 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की समीक्षा एवं योजनान्तर्गत कृषकों को बीमित किए जाने हेतु लक्ष्य का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत क्षेत्र को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कवर किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में बीमा का कवरेज बढाये जाने हेतु आवश्यक है कि योजना के व्यापक व प्रभावी प्रचार-प्रसार के साथ ही बैंक शाखओं द्वारा योजना के प्राविधानों के अनुरूप सभी पात्र ऋणी कृषकों का अनिवार्य रूप से बीमा कवरेज किया जाय, साथ ही अधिक से अधिक गैर ऋणी कृषकों की योजना में भागीदारी निकटतम बैंक/जनसुविधा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट के माध्यम से सुनिश्चित की जाय।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की जारी की गई अधिसूचना में बीमा कम्पनियों को अपने कार्य क्षेत्र के जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर तक योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने हेतु बीमा कम्पनी को जनपद में कुल कृषकों की संख्या के कम से कम 5 प्रतिशत कृषकों को गैर ऋणी कृषक के रूप में बीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत क्षेत्र को योजनान्तर्गत आच्छादित करने के निर्धारित लक्ष्य के क्रम में कृषि विभाग के जनपद में कार्यरत ब्लॉक टेक्नालॉजी मैनेजर (**BTM**), सहायक टेक्नालॉजी मैनेजर (**ATM**) व तकनीकी सहायक (**TA**) को जनपद में कम से कम 1000 कृषकों को प्रोत्साहित करते हुए बीमित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी 2018-19 मौसम दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ हो चुका है जिसमें कृषकों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2018 की अन्तिम तिथि तक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। अत: कृपया जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की प्रत्येक माह नियमित रूप से बैठक करके योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में कृषकों की भागीदारी की नियमित रूप से समीक्षा की जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:47 / 2018 / 3749(1) / 12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(श्रुति सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।